सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-06/2025/862/90-सं0शि0प0का0/2025-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह- II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊः दिनांक- 16 सितम्बर, 2025**

विषय- विकास कार्यों/ निर्माण कार्यों के शिलापट्टों पर अनपेक्षित व्यक्तियों के नाम अंकित न किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

माननीय संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के संबंध में संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा मुख्य सचिव महोदय की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या-01/2024/25/90-सं0शि0प0का0/2024-02(सं0शि0)/2015, दिनांक 05-01-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो वेबसाइट https://www.shasanadesh.up.gov.in पर उपलब्ध है।

2- उक्त शासनादेश द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के उपरान्त भी प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों/ निर्माण कार्यों से संबंधित शिलापट्टों पर उस क्षेत्र के वर्तमान माननीय विधायक का नाम अंकित न करके उनके स्थान पर उनके प्रतिनिधियों एवं उनके परिजनों के नाम अंकित किये जा रहे हैं।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपदों/ विधान सभा क्षेत्रों में विभागों द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों/निर्माण कार्यों से संबंधित शिलापट्टों पर सुसंगत नियमों/शासनादेशों मे निहित व्यवस्था के अनुसार माननीय क्षेत्रीय विधायक का नाम अवश्य अंकित किया जाय तथा माननीय विधायक के स्थान पर उनके किसी प्रतिनिधि अथवा उनके परिजनों के नाम न लिखे जायें।

कृपया उक्त आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

जे0पी0 सिंह-II
प्रमुख सचिव।

कृ0पृ0-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-06/2025/862(1)/90-सं0शि0प0का0/2025 तद्दिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

2- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

3- निजी सचिव, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उ0प्र0 को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।

5- विशेष सचिव, विधान सभा समिति (सामान्य) अनुभाग-3

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गौरव कुमार
विशेष सचिव एवं
अपर विधि परामर्शी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।